

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (गेहूँ) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल एवं रोहतक जिलों में सूक्ष्म पोषक तत्व के वितरण, अनुदान पर किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in under the link **E-Agri Schemes Governance link** पर आनलाईन आवेदन दिनांक 31-01-2019 तक कर सकते हैं।

1. सूक्ष्म पोषक तत्व के वितरण पर रु0 200/ एकड़ या 50 प्रतिशत कीमत का जो भी कम हो किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical& Financial targets of Micronutrients with a financial assistance of Rs. 200/ Acre or 50% of cost whichever less under NFSM-Wheat 2018-19.							
Sr. No.	Distt	General Category		SC Category		Total	
		Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in acre)	Financial Target (in Rs. Lakhs)
1	Ambala	320	0.64	80	0.16	400	0.8
2	Bhiwani	400	0.8	100	0.2	500	1
3	Hisar	360	0.72	90	0.18	450	0.9
4	Jhajjar	240	0.48	60	0.12	300	0.6
5	Mewat	320	0.64	80	0.16	400	0.8
6	Palwal	280	0.56	70	0.14	350	0.7
7	Rohtak	280	0.56	70	0.14	350	0.7
	Total	2200	4.4	550	1.1	2750	5.5

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड़) का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3- किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार भूमि सुधार विकास निगम/हरियाणा बीज विकास निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।